UPKJ010010752026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)

कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6489

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–418/2026

पिण्टू पुत्र वीरेन्द्र सिह

निवासी ग्राम आदमपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज। .....**अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र० राज्य .....**अभियोजन पक्ष।**

परिवाद संख्या–77/2016

शेर सिंह बनाम पृथ्वीराज आदि

धारा–395,504,506,427 भारतीय दण्ड संहिता

थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. आवेदक/अभियुक्त **पिण्टू** की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसे उपरोक्त मुकदमा में गलत व झूंठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा घटना के समय की अपनी कृषि भूमि की कोई इंतखाव खतौनी व खसरा पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अन्य कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक 20.06.2016 को समय करीब 04.00 बजे दिन में अभियुक्तगण पृथ्वीराज, नीतू, राहुल, पिण्टू, लालाराम, जगत सिंह, सुदेश एवं परशुराम ने गाली गुप्ता देते हुये परिवादी की मूंगफली की फसल को अपने पशुओं को चराकर नुकसान किया तथा दिनांक 21.06.2016 को समय करीब 06.00 बजे शाम को उक्त अभियक्तगण ने परिवादी की 40 पैकेट मूंगफली की फसल को ट्रैक्टर में लादकर लूट ले गये।

4. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. मामला परिवाद पर आधारित है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है। अभियोजन या परिवादी की ओर से अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्धि का कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा दौरान अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

6. अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.15 17:08:51 IST
Reason: BAIL ALLOW
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **पिण्टू** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **50,000/–(पच्चास हजार रूपये)** की **दो** जमानत तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त द्वारा इस आश्यय का अंडरटेकिंग भी दाखिल किया जाये कि–

अ– मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

ब– अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंकन के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

स– साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

द– साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित किया जा सकेगा।

दिनांक–15.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
J.O.CODEUP6489